केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/53 दिनांक. 20.02.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00043
CICOM/R/2018/01208

अपीलकर्ता : श्री जितेन्द्र कुमार सिंह धानिया,
jksvnw@gmail.com

निर्णय की तारीख : 20.02.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.12.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	03.01.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. सी. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	11.02.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	69/15.02.2019 (8827/14.02.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.12.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/PRSEC/A/2017/311942 की सुनवाई से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में कोई स्पष्ट पत्राचार का पता नहीं दिया है, इस संबंध में प्रथम अपील आवेदन में उल्लिखित मोबाइल नं. पर अपीलकर्ता से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा संपर्क किए जाने पर अपीलकर्ता ने बताया कि पत्राचार का पता निश्चित नहीं है एवं प्रथम अपीलीय आदेश प्रथम अपील आवेदन में उल्लिखित उनके Email id पर प्रेषित कर दिया जाए ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 18.12.2018 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में **श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/01208 के माध्यम से दिनांक 03.01.2019 को प्रेषित की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।